भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2070

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी)

2070. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के अंतर्गत कर्नाटक के डायलिसिस केन्द्रों को आबंटित की गई निधि तथा उपकरणों और संसाधनों का ब्यौरा क्या है और उनके उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कर्नाटक में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय उपलब्ध कराई जा रही कार्यशील डायलिसिस मशीनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में अकार्यशील उपकरणों और गुर्दा रोग विशेषज्ञों की कमी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं अथवा कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार क्रॉस-इंफेक्शन जोखिमों को कम करने के लिए डायलिसिस केन्द्रों को एकल-उपयोग वाली डायलिसिस इकाइयों में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) कर्नाटक में प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अनुमोदित धनराशि और व्यय निम्नानुसार है:-

करोड़ रुपये में							
2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
निधियों का अनुमोदन	व्यय	निधियों का अनुमोदन	व्यय	निधियों का अनुमोदन	व्यय	निधियों का अनुमोदन	दिनांक 31.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार व्यय
45.54	29.71	77.35	34.13	66.04	43.15	79.95	24.11

(ख) : पीएमएनडीपी के अंतर्गत कर्नाटक में 840 कार्यशील डायलिसिस मशीनें हैं।

(ग) : कर्नाटक राज्य में पीएमएनडीपी कार्यक्रम पीपीपी मोड में कार्यधीन है। राज्य में सेवा प्रदाताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों के माध्यम से खरीद दोनों से हीमोडायलिसिस (एचडी) मशीनों का मिश्रण है। खराब एचडी मशीनों से संबंधित मुद्दों को सेवा प्रदाता द्वारा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) सेवा इंजीनियर के माध्यम से और सीएसआर के तहत समर्थित मशीनों के लिए जिला स्तरीय उपकरण रखरखाव टीम द्वारा पूरा किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए पीपीपी मोड में उपयुक्त सेवा प्रदाता के चयन के लिए 'गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति पर आधारित एक संशोधित मॉडल प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज तैयार किया है। संशोधित बोली दस्तावेज में, देश में नेफ्रोलॉजिस्ट की कमी को देखते हुए, राज्य में परामर्श के आधार पर 10 डायलिसिस सुविधा केंद्रों के लिए न्यूनतम 01 नेफ्रोलॉजिस्ट की सिफारिश की गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार डायलिसिस रोगियों की समीक्षा के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट की सेवाएं लेते हैं। कर्नाटक में, सेवा प्रदाता (पीपीपी) राज्य और सेवा प्रदाता के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार डायलिसिस सुविधा केन्द्रों में रोगियों की समीक्षा के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): पीएमएनडीपी के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध दस्तावेज (आरएफपी) के अनुसार, यह स्वीकृत किया गया है कि डायलाइजर का पुनः उपयोग **05 बार** से अधिक **नहीं** किया जाना चाहिए या जब तक बंडल की मात्रा मूल क्षमता का 80% या उससे अधिक न हो जाए, जो भी पहले हो। ऐसे मामलों में डायलाइजर का पुनःउपयोग केवल उसी रोगी के लिए डायलाइजर पुनर्प्रसंस्करण इकाई का उपयोग करके उचित नसबंदी के बाद किया जाता

है। डायलाइजर की सफाई और बंडल की मात्रा के आकलन के लिए डायलाइजर पुनर्प्रसंस्करण इकाई की उपलब्धता अनिवार्य है।

हालांकि, जिन डायलिसिस इकाइयों में डायलाइजर पुनःप्रसंस्करण मशीन नहीं है, वहां क्रॉस-इन्फेक्शन के जोखिम को रोकने और कम करने के लिए सिंगल यूज डायलाइजर की सिफारिश की गई है।

दिशा-निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि किसी भी स्थिति में सीरोपॉजिटिव मामलों के लिए 'डायलाइजर' का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और रोगी का डायलिसिस अलग मशीन पर किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, सिंगल यूज डायलाइजर की सिफारिश की जाती है।

*****